राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांकः प.6(4)वित्त/बीमा/2020 जयपुर, दिनांकः 29 NOV 2021

परिपत्र

विषयः– **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंशदाताओं के निजी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान के लेखांकन एवं सीआरए सिस्टम में डेटा तथा राशि स्थानान्तरण के संबंध में।**

वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या F.12(9)FD/Rules/2017 दिनांक 12.10.2021 द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से सम्बद्ध निजी अंशदान व नियोक्ता अंशदान से संबंधित डेटा केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण Central Record Keeping Agency (CRA) तथा राशि ट्रस्टी बैंक को स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा त्वरित बनाया गया है। इसके अन्तर्गत निम्न दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :–

1. एनपीएस राज्य कर्मचारियों की निजी अंशदान की कटौति राशि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ–75) आई.एफ.एम.एस./डीटीए/P-17 दिनांक 17.06.2021 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत तैयार ऑटो सैलेरी बिल से बजट मद 8011–00–106–03–01 में (दिनांक 31.12.2021 तक) एवं **दिनांक 01.01.2022 से बजट मद 8342–00–117–(03)–[01]** में लेखांकन हेतु (मय शिड्यूल) सिस्टम से ऑटो जनरेट कर कोषालयों के लॉगिन में दिए जायेगें तथा प्राप्त निजी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान राशि के अनुरूप **अंशदाता अंशदान फाईल** (सब्सक्राईबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फाईल–एससीएफ) तैयार होकर संवेतन भुगतान की तिथि को सीआरए सिस्टम में स्वतः प्रस्तुत की जायेगी।
2. राज्य कर्मचारियों के एनपीएस निजी अंशदान राशि को सीआरए सिस्टम में स्थानान्तरण के प्रयोजन से **एनपीएस पीडी खाता संख्या 479 बजट मद 8443–00–106–00–00** में संवेतन भुगतान की तिथि पर ऑटो बिल जनरेट कर स्थानान्तरण की जायेगी।
3. राज्य में पदस्थापित अखिल भारतीय सेवाओं के एनपीएस अंशदाताओं के निजी अंशदान की कटौति राशि **बजट मद 8342–00–117–(01)–[00]** में लेखांकन हेतु (मय शिड्यूल) सिस्टम से ऑटो जनरेट कर कोषालयों के लॉगिन में दिए जायेगें तथा प्राप्त निजी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान के अनुरूप **अंशदाता अंशदान फाईल** (सब्सक्राईबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फाईल– एससीएफ) तैयार होकर संवेतन भुगतान की तिथि को सीआरए सिस्टम में स्वतः प्रस्तुत की जायेगी।
4. अखिल भारतीय सेवाओं के एनपीएस अंशदाताओं की निजी अंशदान राशि को सीआरए सिस्टम में स्थानान्तरण के प्रयोजन से **एनपीएस पीडी खाता संख्या 479 बजट मद 8443–00–106–00–00** में संवेतन भुगतान की तिथि पर ऑटो बिल जनरेट कर स्थानान्तरण की जायेगी।
5. बिन्दु संख्या 1 से 4 के अन्तर्गत जनरेटेड बिल्स के साथ ही **बजट मद 2071–01–117–01–01** से राज्य कर्मचारियों एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को नियमानुसार देय नियोक्ता अंशदान राशि के ऑटो बिल भी **एनपीएस पीडी खाता संख्या 479 बजट मद**

8443–00–106–00–00 में लेखांकन हेतु सिस्टम से जनरेट कर कोषाधिकारी लॉगिन में दिए जायेगें।

6. उपर्युक्तानुसार निजी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान हेतु जनरेट ऑटो बिल्स में कोष कार्यालयों से ऑटो टी.वी. नम्बर दिए जायेगें।
7. राज्य के एनपीएस अंशदाताओं एवं अखिल भारतीय सेवा के अंशदाताओं के निजी एवं नियोक्ता अंशदान राशि **एनपीएस पीडी खाता संख्या 479 बजट मद 8443–00–106–00–00** से सीलिंग के अनुसार ऑटो बिल्स जनरेट कर राशि ट्रस्टी बैंक के खाते में संबंधित अंशदाताओं के पेंशन खाते में समायोजन हेतु संवेतन बिल आहरित करने की दिनांक से अधिकतम एक दिवस में संबंधित वर्ग के अंशदाताओं के डेटा के साथ सिस्टम से हस्तांतरित की जायेगी।
8. पंचायती राज संस्थाओं/जिला परिषद एवं समकक्ष संस्थाओं (जो SAB में नहीं आते है) के एनपीएस अंशदाताओं के निजी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की कटौति राशि सम्मिलित रूप से **नवीन बजट मद 8342–00–117–(03)–[04]** के माध्यम से केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (CRA) को **अंशदाता अंशदान फाईल** (सब्सक्राईबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फाईल– एससीएफ) तैयार कर संवेतन भुगतान की तिथि को स्वतः प्रस्तुत की जायेगी एवं ऑटो बिल्स जनरेट कर राशि ट्रस्टी बैंक के खाते में संबंधित अंशदाताओं के पेंशन खाते में समायोजन हेतु हस्तांतरित की जायेगी।
9. यदि उक्त प्रक्रिया में केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (CRA) द्वारा डेटा से सम्बद्ध रिजेक्शन या भुगतान में रिजेक्शन होते है तो उनको रिइनिशिऐट करने का प्रोसेस वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5 (थ–75) डीटीए/आई.एफ.एम.एस./ई–कुबेर/ 21475–874 दिनांक 21.03.2018 में विहित प्रक्रियानुसार होगा परन्तु बिल्स ऑटो मोड पर ही कोष स्तर पर आई.एफ.एम.एस. से तैयार किए जायेगें।
10. निजी अंशदान व नियोक्ता अंशदान की राशि मय कर्मचारी डेटा समय पर हस्तांतरण का दायित्व सम्बद्ध कोषाधिकारी का होगा। इस हेतु सिस्टम पर उपलब्ध रिर्पोट्स व डेटा की जाँच समय–समय पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला अधिकारियों द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
11. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से सम्बद्ध अन्य समस्त कार्य (प्रान मैपिंग सहित) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (नोडल विभाग) के स्तर पर ही सम्पादित किए जायेगें।
12. कोषाधिकारियों द्वारा प्रति माह बजट मद 8011–00–106–(03)–[01] एवं 8342–00–117–(03)–[01] एवं 8342–00–117–(01)–[00] में प्राप्त निजी अंशदान की राशि का विवरण एवं पीआरआई पे–मैनेजर के राज्य कर्मचारियों से संबंधित बुक राशि, केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण में अंशदान हस्तान्तरण से संबंधित डेटा तथा एनपीएस पीडी खाता संख्या 479 बजट मद 8443–00–106–00–00 एवं 8342–00–117–(03)–[04] के माध्यम से ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरित की गई राशियों का पूर्ण विवरण नियमित रूप से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
13. ई–ग्रास मॉडयूल के माध्यम से प्राप्त एनपीएस निजी अंशदान की राशि ट्रस्टी बैंक को स्थानान्तरण किये जाने हेतु भी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला अधिकारियों के स्थान पर कोषाधिकारियों के द्वारा उपरोक्त प्रकिया के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
14. CRA सिस्टम में Employee Data प्रेषित करने हेतु अतिरिक्त निदेशक, पीएफ, एस.आई.पी.एफ. का सर्वर सर्टिफिकेट एवम् भुगतान तथा समायोजन ऑटो बिलों हेतु ई–ट्रेजरी का सिंगल सर्वर सर्टिफिकेट उपयोग में लाया जायेगा।

15. उपरोक्त प्रकिया के अनुसार एनपीएस राशि ट्रस्टी बैंक को और विवरण सीआरए को भिजवाये जाने की कार्यवाही दिनांक 01.11.2021 से पायलेट बेसिस पर कोष कार्यालय, जयपुर (शहर/ग्रामीण/सचिवालय) में और दिनांक 01.12.2021 से सभी जिलों में लागू होगी।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान ।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय/राज्य मंत्री महोदय ।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव ।
6. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हक/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा/ आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष ।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, (सांख्यिकी) मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर ।
11. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान जयपुर ।
12. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली ।

29/11/2021
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

29/11/2021
संयुक्त शासन सचिव